

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक 3924/लो.क.वि/न.पा.नि./2025

रायगढ़ दिनांक 11/03/25

।। रुचि की अभिव्यक्ति निविदा सूचना ।।

नगर पालिक निगम, रायगढ़ क्षेत्रान्तर्गत डी.एम.एफ. मद से विभिन्न स्थानों पर निर्मित मैदान, स्कूल में बैडमिंटन कोर्ट एवं बॉक्स क्रिकेट कोर्ट के रख-रखाव, चौकीदारी कार्य हेतु इच्छुक खिलाड़ियों/व्यक्तियों से प्रतिमाह की दर से ऑफर दिनांक 3-4-25 को सायं 04:00 बजे तक मुहरबंद ऑफर दर आमंत्रित की जाती है। प्राप्त ऑफर दिनांक 3-4-25 अपरान्ह को सायं 04:30 बजे उपस्थित ऑफरदाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

नियम एवं शर्तें:-

1. ऑफर त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा। प्रथम लिफाफा में पिछले वर्ष का आयकर विवरणी पत्र, जी.एस.टी. में पंजीयन की प्रति, के साथ निर्धारित अमानत राशि रु. 2000/- का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. प्रस्तुत करना होगा तथा द्वितीय लिफाफा में ऑफरदाता द्वारा भरा हुआ ऑफर पत्र होगा। तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफाएँ होंगी। आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रत्येक स्थल का पृथक-पृथक ऑफर प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित अमानत राशि भी पृथक-पृथक प्रस्तुत करना होगा।
3. ऑफर पत्र लिफाफा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा ही प्राप्त किये जावेंगे। अन्य किसी माध्यम से जैसे व्यक्तिगत या कोरियर आदि से भेजे गये निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त ऑफर स्वीकार नहीं की जावेगी एवं न ही खोली जावेगी तथा वापस दी जावेगी डाक विलम्ब के लिए नगर पालिक निगम, रायगढ़ जिम्मेदार नहीं होगा।
4. दर स्पष्ट होना चाहिए अपलेखन पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. दर स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
6. कार्य का अन्य विवरण कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है।
7. स्थानीय खेल संस्था/खेलकुद में रूची रखने वाले अनुभवी व्यक्तियों को प्राथमिकता होगी।
8. केयर टेकर को मासिक भुगतान करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिमाह द्वितीय कार्य दिवस तक किया जाना होगा।
9. संस्था निकाय के विज्ञापन के साथ अपना 2'X1'6 बोर्ड स्वीकृति उपरांत लगा सकेगा।
10. निकाय में निर्माणाधीन/प्रस्तावित कोर्ट पूर्ण होने के उपरान्त देख-रेख करना होगा।
11. प्रति स्लाट फिस ऑनलाईन निकाय में जमा होगा। रसीद दिखाने पर खेलने दिया जावेगा।
12. उपकरण कैमरे आदि अपनी अभिरक्षा में चालू हालत में रखना होगा।
13. प्रति कोर्ट प्रतिमाह राशि रु. 5000/- देय होगा।
14. नियम एवं शर्तें अनुबंध का एक भाग होगा।
15. किसी भी ऑफर को बिना कारण बताएँ स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
16. निर्धारित तिथि पर अवकाश होने पर आगामी दिवस को मान्य किया जावेगा।
17. उक्त कार्य का अनुबंध 02 वर्ष के लिए मान्य होगा। आवश्यकतानुसार दोनों पक्ष की सहमति से समयावधि घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

3924

पृ. क्रमांक /लो.क.वि/न.पा.नि./2025

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को विभागीय वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।
3. कार्यालय नोटिस बोर्ड में चरप्पा हेतु।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़ दिनांक 11/03/25

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)